समावेश

एक पहल...

अंक 7, फरवरी–अप्रेल 2012

समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रकाशित

CUTS International

Sightsavers

संपादक की कलम से...

प्रिय पाठकों,

समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम को 21 माह पूर्ण होने जा रहे हैं। कार्यक्रम के तहत तय किये गये लक्ष्यों को पूरा करने में लोगों की सहभागिता बढ रही है। विकलांगों द्वारा जिला स्तर पर गठित मंच पंजीकृत ही नहीं हुआ बल्कि इसके सदस्यों की संख्या भी अनवरत बढ़ रही है।

वर्षों से उपेक्षा की मार झेल रहे विकलांगों में सकारात्मक सोच बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनके सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। इस अंक में त्रैमासिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रकाशित की जा रही है, आशा है कि यह अंक आपके लिए उपयोगी एवं प्रेरणादायी होगा।

आपको यह अंक कैसा लगा इस अंक के बारे में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं.....

'सम्पादक मंडल'

मुख्य गतिविधियाँ एवं उपलब्धियां

कट्स मानव विकास केन्द्र द्वारा चलाए जा रहे समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम के तहत इस त्रैमास में परियोजना क्षेत्र में संपर्क, स्वयं सहायता समूह बैठकें, जागरूकता बैठकें आयोजित की गयी। विकलांगजनों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करवाने हेतु प्रमाण पत्र बनवाये गये। विकलांगों के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास हेतु सम्बन्धित व्यक्तियों एवं विभागों के साथ पैरवी हेतु सम्पर्क किया गया। इस त्रैमास में समुदाय स्तर पर कुल 16 बैठकें आयोजित की गई, जिसमें विकलांगजनों से जुड़े विषयों पर चर्चा की गयी एवं उनके लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गयी। स्वयं सहायता समूह की 32 बैठकें आयोजित की गयी। बैठकों में आपसी लेन देन के साथ साथ विकलांगों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा एवं विचार विमर्श किया। बैंक से ऋण लेने हेतु 8 समूहों ने ऋण पत्रावलियां तैयार की। 6 समूहों ने सम्बन्धित बैंक से कुल 2,75000 रूपये का ऋण प्राप्त किया। समूह सदस्यों ने समूह से ऋण लेकर अपनी क्षमता एवं रूचि के अनुसार व्यवसाय आरम्भ किये।

क्रं.स.	विवरण	लाभान्वित
1	बस पास	6
2	आय प्रमाण पत्र	6
3	विकलांगता पेंशन	21
4	मूल निवास प्रमाण पत्र	6
5	विकलांगता प्रमाण पत्र	7
6	ऋण स्वीकृत	6
7	सुखद दाम्पत्य जीवन	1

चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ओडुन्द के गांव ओडुन्द के विकलांग बगदीराम ने विवाहोपरान्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के तहत 25000 रूपये की आर्थिक सहायता प्राप्त की। दृष्टि बाधित लोगों के घर पर जाकर अनुस्थिति एवं चलीष्णुता के बारे में प्रशिक्षित किया। कट्स के विशेष अध्यापकों ने अन्धे बच्चों के घर पर जाकर उन्हें ब्रेल लिपि से पढ़ाया। बच्चों में ब्रेल के माध्यम से पढ़ने में रूचि बढ़ी है। सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों से जुड़े मुद्दों पर संबन्धित विद्यालयों से सम्पर्क किया गया।

नेत्रहीन बच्चों ने किया मुम्बई भ्रमण

चित्तौड़गढ़ जिले के 4 नेत्रहीन बच्चों ने मुबंई भ्रमण किया। आशुतोष वैष्णव, गोपाल रावत, लोकेश माली, तथा सोनु मेघवाल ने 1 से 3 फरवरी तक मुम्बई के अंधेरी स्पोर्टस कॉम्पलेक्स में नेशनल एसोसिएशन फोर द ब्लाइण्ड द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में 15 राज्यों के लगभग 400 नेत्रहीन बच्चों ने शिरकत की। बच्चों ने 100 मीटर एवं 75 मीटर दौड़, लम्बी कूद, गोला फेंक, निशाने पर बाल फेंकना आदि प्रतियोगिताओं में भाग लिया। पुरस्कार जाने माने हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्लै के हाथों से वितरित करवाये गये। बच्चों ने 4 जनवरी को नेशनल एसोसिएशन फोर द ब्लाइण्ड संस्था का भ्रमण किया। बच्चों ने ब्रेल प्रेस, ब्रेल पुस्तिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। नेत्रहीन लोगों के लिए रोजगार के अवसर एवं मिलने वाली सुविधाओं तथा नेत्रहीन लोगों के विकास में स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका के बारे जाना व समझा। 5 फरवरी को गेट वे आफ इण्डिया, म्युजियम, ताज होटल व लक्ष्मीनारायण मंदिर का भ्रमण किया। यह भ्रमण बच्चों के लिए काफी उत्साहवर्धक एवं प्रेरणादायी रहा।

स्वयं सहायता समूह पदाधिकारी बैठक

5 मार्च 2012 को श्री सांवलिया जी विश्रान्ति गृह निम्बाहेड़ा, में स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारियों की एक दिवसीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकलांगजनों के स्वयं सहायता समूह के 20 पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में उपस्थित सहभागियों ने अनुभवों का आदान प्रदान किया। समूह सदस्यों ने बताया कि स्वयं सहायता समूह आय संवर्धन की ओर बढ़ रहे हैं।

समूह से जुड़कर विकलांगजन आय संवर्धन हेतु सॉफ्ट टॉयज, बैग, पर्स आदि बना रहे हैं। बैठक में चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा निम्बाहेड़ा के प्रबन्धक श्री सुरेन्द्र कुमार आगाल ने समूह सदस्यों को रोजगारोन्मुखी गतिविधियों के लिए आवश्यकतानुसार सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर कट्स के सहायक निदेशक उदयसिंह मेहता ने अपने उद्बोधन में कहा कि ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण उत्पादनों को आधुनिक तकनीक व विश्व बाजार के मापदण्डों के अनुरूप तैयार करना होगा। कट्स मानव विकास केन्द्र के समन्वयक श्री धर्मवीर यादव ने बताया कि समूह से जुड़े लोगों को रोजगार गतिविधियों से जोड़कर उनके द्वारा तैयार किये जा रहे उत्पादनों को बाजार से जोड़ने हेतु समूह सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा। बैठक में परियोजना अधिकारी आराध्य शंकर गौड़ ने बताया कि निशक्तजनों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा रहा है। समूह सदस्यों को उनकी रूचि के अनुसार रोजगार गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

मेवाड़ विकलांग सेवा संस्थान के निम्बाहेड़ा शाखा के सचिव सुशील जैन ने कहा कि विकलांगजन किसी सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता के मोहताज नहीं है, केवल उनमें छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने की जरूरत है। इसके लिए त्वरित प्रयास होने चाहिए। बैठक में प्रतिस्पर्धा बाजार विशेषज्ञ की अधिवक्ता सुश्री नताशा, श्री गौरव शुक्ला, सुश्री अनुश्री व श्री रूद्रशंकर ने भी विचार रखे। चित्तौड़गढ़ एवं निम्बाहेड़ा पंचायत समिति में विकलांगजनो के 24 स्वयं सहायता समूह सक्रिय रूप से कार्यरत हैं

फिर से चले पांव, छोड़ी पीपल की छांव

गिलुण्ड जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ से 25 किलो मीटर पूर्व की ओर पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ राजस्व गांव है जो ग्राम पंचायत मुख्यालय भी है। गांव में लगभग 800 घर हैं। गांव में मुख्य रूप से डांगी, रेगर और भील समाज के लोग रहते हैं। गांव के देवीलाल रेगर ने वर्षों तक मिस्त्री के रूप में कार्य करते हुए लोगों के आशियाने का सपना साकार किया। आज से 15 साल पूर्व जब वे मकान बना रहे थे तभी उन्हें लकवा हो गया और उनके आंखों की रोशनी चली गई। परिवार के लोगों द्वारा जांच करवाई, लकवा तो ठीक हो गया लेकिन आंखों की रोशनी सदा के लिए चली गई। पैसा कमाने की क्षमता नहीं रहने से अपने ही परिवार में उन्हें उपेक्षा की मार झेलनी पड़ी। घर पर खाना खाकर गांव के चबूतरे की नीम के छांव में आराम करना रोज की आदत हो गई थी।

कट्स द्वारा गांव में आयोजित समुदाय बैठक में विकलांगजनों की स्थिति सुधारने हेतु कट्स द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम के बारे में देवीलाल को अवगत कराया। इस अवसर पर मोतियाबिंद ऑपरेशन एवं विकलांगजनों के पुनर्वास हेतु स्वयं सहायता समूह गठित करने के बारे में चर्चा एवं विचार विमर्श किया। बैठक स्थल पर नीम की छायां में बैठे देवीलाल सारी बाते ध्यान से सुन रहे थे। बैठक समाप्ति पर उन्होने भी अपना परिचय दिया और स्वयं सहायता समूह के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की। बैठक के दूसरे ही दिन गांव में समावेश श्री राम स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया जिसमें देवीलाल रेगर सहित 12 सदस्य जुड़े। समूह सदस्यों ने 100 रूपये प्रति सदस्य मासिक हिस्सा राशि एकत्रित की एवं गांव के मिनी सहकारी बैंक में खाता खुलवाया। समूह की मासिक बैठकों में मासिक हिस्सा राशि एकत्रित करने के साथ साथ समूह सदस्यों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने पर भी प्रमुखता से चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया। फिल्ड विजिट के दौरान कट्स प्रतिनिधियों ने देवीलाल को लकड़ी के सहारे चलना, नोटों की गिनती करना, चीजों को छूकर पहचान करना एवं आटा चक्की चलाने का ज्ञान करवाया। देवीलाल में आत्मविश्वास बढ़ा एवं समूह से 4000 रूपये का ऋण लेकर अपना गिरवी पड़ा खेत छुड़वाया एवं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वारोजगार योजना के अन्तर्गत बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक से 50 हजार रूपये का ऋण लेकर आटा चक्की लगाई। आटा चक्की के साथ ही किराना की दुकान भी लगवा ली जिससे प्रति दिन का 200 रूपये की आय होने लगी है। अब देवी लाल अपने खेत पर जाकर भी अपना योगदान देता है।

विकलांगजन अधिनियम 1995
(समान अवसर, अधिकारों की रक्षा तथा पूर्ण प्रतिभागिता)

भारत की संसद द्वारा समान अवसर, अधिकारों की रक्षा तथा पूर्ण प्रतिभागिता अधिनियम 1995 में पारित हुआ जो 7 फरवरी, 1996 को लागू हुआ। यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण की परिकल्पना है। यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने, उनके अधिकारों तथा उनको प्रतिभागिता का अवसर प्रदान करने की दिशा में एक प्रयास है, ताकि वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें और अपने अधिकार पा सकें। इस अधिनियम में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रावधान समाहित है :–

- धारा 25 में विकलांगता का निवारण और जल्दी पहचान।
- धारा 26(क) में विकलांगता युक्त प्रत्येक बच्चे की उपयुक्त वातावरण में 18 वर्ष की उम्र तक मुफ्त शिक्षा।
- धारा 27 में अनौपचारिक शिक्षा के लिये योजनाऐं व कार्यक्रम।
- धारा 39 में सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए तीन प्रतिशत सीटों पर आरक्षण।
- धारा 40 सभी निर्धनता उन्मूलन योजनाओं में कम से कम तीन प्रतिशत का आरक्षण।
- धारा 44 से 46 तक परिवहन में, सड़क पर और निर्मित वातावरण में भेदभाव रहित बर्ताव ताकि विकलांग व्यक्ति किसी भी स्थान पर निर्बाध जा सके।
- धारा 32 व 33 आरक्षित किये जाने योग्य पदों की पहचान और विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण।
- धारा 43 किसी प्रकार के भेदभाव से उबरने के लिए विशेष अवसर जैसे आवास व्यवस्था, विशेष स्कूलों, अनुसंधान केन्द्रों, मनोरंजन केन्द्रों तथा कारखानों के लिए विकलांग व्यक्तियों को भूमि आवंटन में वरीयता।
- धारा 66 पुनर्वास के लिए सामान्य एवं विशेषज्ञता प्राप्त सेवाएं।
- धारा 67 विकलांग कर्मचारियों के लिए बीमा योजना।
- धारा 68 जो व्यक्ति लाभप्रद रोजगार में नहीं है, उनके लिए बेरोजगारी भत्ता।
- अध्याय 2 व 3 अथवा धारा 3 से 24 तक पीडब्ल्यूडी अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधानों का समन्वय व अनुश्रवण।
- धारा 62 विकलांग व्यक्तियों को उनके अधिकारों से वंचित और इनकार करने संबधी शिकायतों पर ध्यान देने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य में एक कमिश्नर की नियुक्ति।

इस अधिनियम के तहत उपलब्ध सुविधाओं का लाभ लेने के लिये उसके पास विकलांगता दर्शाने वाला फोटोग्राफ, विकलांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र होना अनिवार्य है।

अंधता के अभिशाप से बची विमला

ग्राम पंचायत नेतावल महाराज के गाँव सज्जनपुरा के नोडल स्कूलों में जब कट्स संस्था द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिलकर फरवरी 2012 में स्कूली बच्चों के नेत्र जांच हेतु अभियान चलाया जा रहा था तब स्कूल स्क्रीनिगं के लिये कार्यकर्ता द्वारा स्कूल में सम्पर्क किया गया। स्क्रीनिंग के दौरान स्कूल के अध्यापक ने विमला भील के बारे में जानकारी दी जो उस दिन स्कूल में उपस्थित नहीं थी।

14 वर्षीय विमला भील सज्जनपुरा गांव के राजकीय विद्यालय में छठी कक्षा में पढ़ती है तथा पास ही स्थित छोटे से गांव भीलों की झोपड़ी में रहती है। कार्यकर्ता विमला से उसके घर जाकर मिले व पूछताछ की। चर्चा के दौरान पता चला कि उसकी सीधी आँख से बिल्कुल दिखाई नहीं देता है व उल्टी आँख से कम दिखाई देता है। कार्यकर्ता को अलख नयन सस्थां द्वारा 3 अप्रेल को लगाये जाने वाले नेत्र शिविर के बारे में पता चला तो इस बारे में विमला के पिताजी को जानकारी दी और विमला को उस शिविर में ले जाने के लिये प्रेरित किया।

विमला के माता –पिता 3 अप्रेल को उसे शिविर में लेकर आये व उसकी आंखों की जांच करवाई। जांच में पता चला कि उसकी सीधी आँख में मोतियाबिन्द है, जिसका छोटा सा ऑपरेशन होगा। परिवार वालों को उसके ऑपरेशन के बारे में समझाया व उन्हें ऑपरेशन के लिये राजी किया। उसी दिन अलख नयन द्वारा विमला को गाड़ी में उदयपुर ऑपरेशन के लिये भेजा गया व 4 अप्रेल को अलख नयन संस्था द्वारा उसकी आँख का ऑपरेशन किया गया। कुछ समय बाद कार्यकर्ता जब विमला व उसके परिवार से मिली तो उन्होंने बताया कि विमला को दिखाई देने लगा है जिससे वे बहुत खुश हैं।

मेवाड़ विकलांग सेवा संस्थान

राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

क्रमांक/ 152/ चित्तौड़गढ़/2011–2012

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेवाड़ विकलांग सेवा संस्थान,चित्तौड़गढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ जिला–चित्तौड़गढ़ का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28,1958) के अर्न्तगत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया । यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक तेईस(23)माह फरवरी (02) सन् दो हजार बारह (2012) को चित्तौड़गढ़ में दिया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएं,
चित्तौड़गढ़

मेवाड़ विकलांग सेवा संस्थान अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। संस्थान के कार्यकर्ताओं ने संस्थान के पंजीकरण हेतु अनवतर प्रयास किये।

चित्तौड़गढ़ विकलांग मंच के रूप में गठित संस्थान मेवाड़ विकलांग सेवा संस्थान के रूप में मूर्त रूप में स्थापित हो गई है। 23 फरवरी, 2012 को मेवाड़ विकलांग सेवा संस्थान को राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के तहत वैधानिक मान्यता मिल गई है। एक पंजीकृत वैधानिक संस्था के रूप में विगलांगजनों को जागरूक, संगठित एवं उनसे जुड़ी समस्याओं के निस्तारण को गति मिलेगी।

संस्थान के पंजीकृत होने पर कार्यकारिणी के सदस्यों ने एक दूसरों को बधाई दी एवं विकलांगजनों के हित के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया।

11 फरवरी, 2012 को मेवाड़ विकलांग सेवा संस्थान की पंचायत समिति स्तरीय बैठक निम्बाहेड़ा के नेहरू उद्यान में आयोजित की गई। बैठक में विगलांगजनों से जुड़ी हुई समस्याओं पर चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर विकलांगजनों से जुड़ी सरकारी योजनाओं के प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने विश्वास योजना के अन्तर्गत संबन्धित बैंकों की संवेदनशीलता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया एवं समस्या के समाधान हेतु मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता प्रतिपादित की। संस्थान की ओर से संस्था के सदस्यों को फोटोयुक्त परिचय पत्र देने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

विकलांगजनों को समूह से जोड़कर बढ़ाया उनका आत्मविश्वास

विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वरोजगार से जोड़ा

विकलांगों को नरेगा में मजदूरी दिलाकर किया आत्मनिर्भर

नेत्रहीन बच्चों को ब्रेलकिट के माध्यम से दिया प्रशिक्षण

मेवाड़ विकलांग सेवा संस्थान को मिली वैधानिक मान्यता

सर्व शिक्षा अभियान के साथ किया स्कूलों में ने परिक्षण

मीडिया

नेत्रहीन बच्चों ने किया मुबंई भ्रमण

चित्तौडगढ 7 फरवरी (नस)। कट्स संस्था द्वारा चलाये जा रहे समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम के तहत जिले से 4 नेत्रहीन विद्यार्थीयों ने 6 दिवसीय मुंबई भ्रमण किया। विद्यार्थी आशुतोष वैष्णव गोपाल रावत, लोकेश माली तथा सोनू मेघवाल ने 1 फरवरी से 3 फरवरी तक मुबंई के अंधेरी स्पोटर्स कम्पलेक्स में नेशनल एसोशिएशन फोर द ब्लाईन्ड के द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया। जहां पर 15 राज्यों से लगभग 400 नेत्रहीन बच्चे आये थें। बच्चों ने 100 मीटर ,75 मीटर दौड लंबी कूद, गोल फेंक, निशाने पर बोल फेंकना आदि प्रतियोगिताओं में भाग

मेवाड़ विकलांग सेवा संस्थान की बैठक

निम्बाहेड़ा | मेवाड़ विकलांग सेवा संस्थान की ब्लॉक स्तरीय बैठक नेहरू पार्क में हुई। ब्लॉक अध्यक्ष गोविंद रैगर ने बताया कि बैठक में विकलांगों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा समस्या समाधान के लिए सुझाव भी लिए गए। दृष्टि बाधित प्रेमप्रकाश गोटवाल ने संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान करते हुए संगठन के माध्यम से समस्या समाधान करने की बात कही। कट्स संस्था के प्रतिनिधि व संस्थान उपाध्यक्ष मोहन मेघवाल व रामेश्वर पंचोरिया ने विचार व्यक्त किए। बैठक में विकलांगजनों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विश्वास योजना में मिलने वाला ऋण सहकारी बैंक द्वारा लेने में आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में ऋण समस्या का निराकरण शीघ्र नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। बैठक में संस्थान सचिव सत्यनारायण धाकड़ को नियुक्त किया।

Sightsavers
North West India Area Office
C-39, Panchsheel Colony, Ajmer Road Jaipur-302006
Ph: +91.141.2812081; Fx: +91.141.2812081-27

कट्स मानव विकास केन्द्र
सेंती (रावला), चित्तौड़गढ़ 312025, फोन: (01472): 241472 फैक्स: 247715
E-mail: chd@cuts.org, Website: www.cuts-international.org

मुद्रक : एस. एस. प्रिन्टर्स